



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

Ministry of Health and Family Welfare

राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

National Institute of Public Health Training & Research

332, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, खेतवाडी, मुंबई 400004

332 S.V.P. ROAD, KHETWADI, MUMBAI-400 004, MAHARASHTRA, INDIA.

Phone/दूरभाष- 022-23881724 / 23893165 * फ़ैक्स/Fax-- 022-23862736 * ईमेल/Email: director.fwtrc@nic.in

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत सक्रिय प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

1.5 कार्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका और अभिलेख [धारा 4(1)(ख)(v)]

- i. अभिलेख/पुस्तिका/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति
- ii. नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची
- iii. अधिनियम/नियम, पुस्तिकाएँ आदि

संस्थान अपने कार्यों का निर्वहन भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार करता है, जैसा कि विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। कर्मचारी की सेवा शर्तों से संबंधित नियम और विनियम या मानदंड, मौलिक और पूरक नियम (एफआर/एसआर), सीसीएस (आचरण) नियम और भारत सरकार द्वारा निर्मित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), और समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश कर्मचारियों पर लागू होंगे, जहाँ तक वे लागू होते हैं।

1. राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के समूह 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के लिए भर्ती

नियम एवं विनियम

2. मूलभूत एवं पूरक नियम (एफआर/एसआर)
 3. केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) नियम
 4. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन/दिशानिर्देश
 5. भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापन/दिशानिर्देश
 6. सामान्य भविष्य निधि नियम
 7. सामान्य वित्तीय नियम
 8. वस्तुओं की खरीद के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं
 9. आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं
- स्थापना नियमों, विनियमों, नियमावली और अन्य अभिलेखों की सूची एवं विवरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

iv. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश

संस्थान में कार्यरत निदेशक, विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारियों का स्थानांतरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) अनुभाग द्वारा तथा अन्य सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

अन्य श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं

INFORMATION